[illegible] विपक्षी [illegible]
किया जाता है पत्रावली वास्ते बहस में दिनांक 18.2.25
को पेश हो।

18.2.25 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश में दिनांक 27.2.25 को पेश हो।

27.2.25 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में कार्य अधिकता होने से आदेश नहीं लिखा जा सका है। पत्रावली वास्ते आदेश में दिनांक 12.3.25 को पेश हो।

12.3.25 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में पूर्व में उभय पक्ष की बहस बहस सुनी गई, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस प्रा.पत्र अनुसार करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया है कि मौजा सुली मंगरा प.ह. जेगु की खाता सं: 43 आ.सं. 168, 396/169, रकबा 0.5600 है. भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी सं.1 की पैत्रिक संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि आराजियात दर्ज रिकार्ड है। स्व. छगनलाल कुम्हार का 3/5 हक हिस्सा निहित है व विपक्षी रामचन्द्र जी का 2/5 हिस्सा निहित था। जिसको विपक्षी रामचन्द्र ने आपसी पारिवारिक समझौता अनुसार दिनांक 12.9.1990 को 11000 रु नगद प्राप्त कर अपना सम्पूर्ण हिस्सा आराजीयात का इस्तीफा देकर स्व. छगनलाल जी को कब्जा अधिपत्य में सिपुर्द कर दिया और इसी दिनांक को विपक्षी रामचन्द्र ने पुनः इकरार नामा लिखकर गवाहों की मौजूदगी में लिखकर दिया गया दिनांक 29-11-2022 को छगनलाल जी का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात दिनांक 15-10-2023 को विपक्षी राम चन्द्र को पारिवारिक समझौते अनुसार सौंपी गई हिस्सा भूमि को प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के लिए कहा लेकिन विपक्षी रामचन्द्र ने रेवेन्यु रिकार्ड में नाम की प्रविष्टि होने मात्र एवं दुर्भावनापूर्ण आशय

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	रखकर अवैध लाभ प्राप्त करने की गरज से उक्त जमीन अन्य किसी भी दिगर व्यक्ति को रहन बैचान करने की धमकी दी यदि विपक्षी राम चन्द्र ने उक्त वर्णित आराजीयात का बेचान कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्तिनिय क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रा·पत्र स्वीकार कर विपक्षी राम चन्द्र को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जावे कि अपने निहित हिस्सा भूमि का पारिवारिक समझोते अनुसार इसीया देकर प्रार्थीगण के कब्जे आधिपत्य मे सौंपी गई हिस्सा भूमि को किसी प्रकार से विक्रय रहन एवं पंजीयन नही करें, करावे। इस पर वकील विपक्षी ने अपनी जबानी
2	बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि स्व· छगन लाल मुझ विपक्षी राम चन्द्र के बडे भाई थे। व उक्त वर्णित कृषि आराजियात पुश्तेनी सामलाती खातेदारी की है। मेरे बडे भाई स्व· छगन लाल का हक हिस्सा 3/5 व मुझ विपक्षी राम चन्द्र का हिस्सा 2/5 पर वर्षो से निरंतर निर्बाध रूप से काबीज होकर उपयोग उपभोग करते
20·	आ रहे हैं। तथा मुझ विपक्षी राम चन्द्र ने ना तो 11000 रु प्राप्त किये और ना ही कोई लिखा पढी की है। प्रार्थीगण ने मनगढंत तथ्य अंकित कर वाद पत्र व प्रा·पत्र प्रस्तुत किया जिसे खारिज किया जावे। प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया। व प्रकरण का अवलोकन किया गया। मूलवाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का है।
7·	प्रकरण मे प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत 2078-78 आ·स· 168, 396/169 से प्रार्थीगण के पिता पति-ससुर दादा छगनलाल, व विपक्षी राम चन्द्र सह खातेदार हैं। प्रार्थीगण ने जो प्रा·पत्र मे इकरारनामा पेश कर
10·1	विपक्षी को पाबन्द कराने चाहते हैं। इसकी वैधता मूल वाद मे साक्ष्य संकलित व गवाहो के बयानो के पश्चात हि किया जा सकता है। इसलिए मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक प्रार्थीगण व विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि दोनो पक्ष मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न कियावें।
	[signature]